राज्य परियोजना कार्यालय
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्
ननूरखेडा,रायपुर,देहरादून,उत्तराखण्ड
फोन /फैक्स - 0135- 2781941, 2781942, 2781943
Email – spd-ssa-uk@nic.in website://ssa.uk.gov.in

futh@ikbZosV Ldwyksa esa izos'k lEcU/kh lwpuk

''बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009'' की धारा–12(1)(c) के अन्तर्गत विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय तथा गैर अल्पसंख्यक असहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों की कक्षा–1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की स्थिति में सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों के 25 प्रतिशत की सीमा तक की सीटों पर अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में लगभग 32000 अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया गया है। राज्य के निजी/असहायता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में लगभग 25000 उपलब्ध सीटों के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत यह एक अत्यन्त लाभकारी संवैधानिक प्रावधान है। ऐसे प्रवेशित बच्चों हेतु राज्य सरकार द्वारा असहायता प्राप्त विद्यालयों एवं प्रवेशित बच्चों को प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय का भुगतान किया जाता है। प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश एवं मध्याह्न भोजन के सापेक्ष प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में लगभग अधिकतम रू0 1715.00 की धनराशि प्रति वर्ष बच्चों के बैंक खातों में हस्तान्तरित की जायेगी।

अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त प्रबुद्ध जनों से अपील है कि अपने क्षेत्र के पात्र अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायता प्राप्त/गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रवेश कराने हेतु सम्बन्धित माता–पिता/अभिभावकों को प्रेरित करने में सहयोग करें। समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन पत्र की एक प्रति सम्बन्धित विद्यालय में तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित ब्लॉक संसाधन केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक) कार्यालय में उपलब्ध करायें। विस्तृत जानकारी के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) से अथवा राज्य परियोजना कार्यालय के टौल फ्री नम्बर–18001804132 पर सम्पर्क कर सकते हैं। प्रवेश से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी निम्नवत हैं–

1. विद्यालय हेतु पड़ोस की परिभाषा के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो के वार्ड) को इकाई समझा जायेगा अर्थात जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी वार्ड के पात्र बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा। यदि उस वार्ड में पात्र बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को होगा।
2. अपवंचित वर्ग के बच्चों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अनाथ बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जो, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हों, ऐसे बच्चे जो किसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों जिनकी वार्षिक आय रू0 80,000/– से कम हो, एच0आई0वी0+बच्चे या एच0आई0वी0+माता–पिता के बच्चे तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) में यथा परिभाषित विकलांग माता–पिता (कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों सहित) जिनकी वार्षिक आय रू0 4.5 लाख से कम हो, के बच्चों को सम्मिलित किया गया है।
3. ऐसे अभिभावकों/माता–पिता जिनकी वार्षिक आय रू0 55000/– या उससे कम है, के बच्चों को कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत बी0पी0एल0 कार्डधारक अभिभावक/माता–पिता के बच्चों को भी कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के समस्त बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है। अपवंचित समूह तथा कमजोर वर्ग हेतु सक्षम अथवा उपजिलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
4. आवेदन पत्र के निम्न प्रारूप को A-4 साइज के पेपर पर स्पष्ट अक्षरों में हस्तलिखित अथवा टंकित कर प्रयोग में लाया जा सकता है।

vkonu i=k : i

कृपया बच्चे का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें

1. बच्चे का नामः– ....
2. लिंगः– बालक / बालिकाः– ....
3. बच्चे की माता का नामः– ....
4. बच्चे के पिता का नामः– ....
5. बच्चे की जन्म तिथि(कृपया प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो माता–पिता का स्वघोषणा पत्र मान्य होगा)...... ....
6. स्थाई पताः– ....
7. वार्ड का नाम जिसमें बच्चे का निवास स्थान हैः– ....

8. विद्यालय का नाम जिसमें प्रवेश चाहते हैंः– ....
9. वार्ड का नाम जिसमें विद्यालय स्थित है– ....
10. क्या बच्चा विकलांग हैः– ....
11. यदि हाँ तो विकलांगता का प्रकारः– ....
12. बच्चे के माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय (कृपया सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)................
13. क्या बच्चा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–2(d) में अधिसूचित अपवंचित वर्ग से सम्बन्धित है(हाँ / नहीं):– ....
14. यदि हाँ तो (कृपया सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)..................................
15. क्या बच्चा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–2(e) में अधिसूचित कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है(हाँ / नहीं):– ....
16. यदि हाँ तो (कृपया सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें).....................................
17. माता–पिता / अभिभावक की स्वघोषणाः–

    मैं .... पुत्र .... घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाएं सत्य हैं। यदि वर्णित सूचनाओं में कोई भी त्रुटि पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

gLrk{kj
ekrk&firk@vfHkHkkod--------------------------------
uke%& --
fnukd%& --

18. संलग्नकों की संख्याः– ....

¼jkf/kdk >k½
jkT; ifj;kstuk funs'kd]
lo Z f'k{kk vfHk;ku@
vij lfpo] fo|ky;h f'k{kk] mRrjk[k.MA

¼euh"kk iokj½
mik/;{k] dk;Zdkfj.kh lfefr]
mRrjk[k.M lHkh d s fy, f'k{kk ifj"kn@
lfpo] fo|ky;h f'k{kk] mRrjk[k.MA

i0l0% jk0i0dk0@ @f'k0dk0vf/k0@2013&14 rnfnukadA

izfrfyfi: निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग ई0सी0 रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को दिनांक 02 मई, 2013 के दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं दैनिक हिन्दुस्तान के उत्तराखण्ड संस्करण में 1/4 पृष्ठ पर रंगीन आकार में डी0ए0वी0पी0 दरों पर प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। प्रकाशन पर आने वाले व्यय का भुगतान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

iz'kklfud vf/kdkjh
jkT; ifj;kstuk dk;kZy;]
iz'kklfud vf/kdkjh
jkT; ifj;kstuk dk;kZy;]